रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 670] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 2019/कार्तिक 24, 1941
No. 670] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 2019/KARTIKA 24, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 852(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (यट) के साथ पठित धारा 227 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और समापन कार्यवाहियां तथा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.-**ये नियम वित्तीय सेवा प्रदाताओं अथवा वित्तीय सेवा प्रदाताओं की ऐसी श्रेणियों पर लागू होंगे जो धारा 227 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन दिवाला और समापन कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ समय-समय पर अधिसूचित की जाएं।

3. **परिभाषाएं.-**(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्रशासक" से नियम 5 के खंड (क) के उपखंड (iii) के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा वित्तीय सेवा प्रदाता की दिवाला और समापन कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ दिवाला वृत्तिक, अंतरिम समाधान वृत्तिक, समाधान वृत्तिक अथवा समापक की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के हेतु नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) "सलाहकार समिति" से इन नियमों के नियम 5 के खंड (ग) के अनुसार समुचित विनियामक द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

(ग) "समुचित विनियामक" से वित्तीय सेवा प्रदाताओं की किसी श्रेणी के लिए धारा 227 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित वित्तीय क्षेत्र विनियामक अभिप्रेत है;

(घ) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) अभिप्रेत है;

(ङ) "प्ररूप" इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "पहचान संख्यांक" से किसी वित्तीय सेवा प्रदाता का, यथास्थिति, कारपोरेट पहचान संख्यांक अथवा सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक, अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके हैं।

4. सामान्य उपांतरण.- इन नियमों के प्रयोजनार्थ, संहिता के अधीन दिवाला और समापन कार्यवाहियों से संबंधित सभी उपबंधों में,-

(i) "कारपोरेट ऋणी " अभिव्यक्ति के लिए जहां-जहां वह आती है, "वित्तीय सेवा प्रदाता" अभिप्रेत होगा; और

(ii) "दिवाला वृत्तिक" "अंतरिम समाधान वृत्तिक", "समाधान वृत्तिक" अथवा "समापक", अभिव्यक्तियों के लिए, जहां-जहां वे आती हैं, "प्रशासक" अभिप्रेत होगा।

5. **वित्तीय सेवा प्रदाताओं की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया .-** कारपोरेट ऋणी की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित संहिता के उपबंध , , किसी वित्तीय सेवा प्रदाता की दिवाला समाधान प्रक्रिया को यथावश्यक परिवर्तन सहित निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात् :-

(क) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ.-

(i) किसी ऐसे वित्तीय सेवा प्रदाता के विरुद्ध, जिसने धारा 4 के अधीन चूक की है, , नियम 6 के अनुसार समुचित विनियामक द्वारा आवेदन किए जाने के सिवाय कोई कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ नहीं की जाएगी।

(ii) उपखंड (i) के अधीन आवेदन पर, खंड (iii) के अधीन रहते हुए उस रीति से कार्यवाही की जाएगी जिस रीति में धारा 7 के अधीन किसी वित्तीय लेनदार द्वारा किए गए आवेदन में की जाती है; और

(iii) आवेदन के स्वीकार किए जाने पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नियम 5 के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन फाइल किए गए आवेदन में समुचित विनियामक द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त करेगा।

(ख) अधिस्थगन .- धारा 14 में यथा उपबधित को छोड़कर,-

(i) कोई अंतरिम अधिस्थगन, खंड (क) के अधीन आवेदन फाइल करने की तारीख से आरंभ होगा जब तक कि इसे स्वीकार अथवा निरस्त नहीं किया जाता है; और

(ii) ऐसा लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रीकरण, जो वित्तीय सेवा प्रदाता को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत होने के लिए अधिकृत करता है, अंतरिम अधिस्थगन और कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनार्थ, "अंतरिम अधिस्थगन" धारा 14 की उपधारा (1), (2) और (3) के उपबंधों को प्रभावित करेगा।

(ग) सलाहकार समिति.-

(i) समुचित विनियामक, जहां वह आवश्यक समझे, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान वित्तीय सेवा प्रदाता के संकार्यों में प्रशासक को सलाह देने के लिए दिवाला आंरभ होने की तारीख के 45 दिनों के भीतर सलाहकार समिति का गठन करेगा।

(ii) सलाहकार समिति में तीन अथवा अधिक सदस्य शामिल होंगे जो योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे तथा जिनके पास वित्त, अर्थ विज्ञान, लेखांकन, विधि, लोक नीति अथवा वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में किसी अन्य व्यवसाय, प्रशासन, वित्तीय सेवा प्रदाता के पर्यवेक्षण अथवा समाधान के क्षेत्र में विशेषज्ञता अथवा अनुभव होगा।

(iii) सलाहकार समिति के सदस्यों की सेवा शर्तें और बैठक आयोजित करने तथा प्रक्रिया के नियमों का पालन करने का ढंग इस प्रकार का होगा जैसा समुचित विनियामक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(iv) सलाहकार समिति के सदस्यों को संदत्त किया गया प्रतिकर दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का भाग होगा।

(v) प्रशासक सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(घ) समाधान योजना.-

(i) समाधान योजना में एक ऐसा विवरण शामिल होगा, जिसमें इस बात का स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि समाधान आवेदक, उस समय लागू कानूनों के अनुसार, किस प्रकार वित्तीय सेवा प्रदाता के कार्य में अंतर्ग्रस्त होने की अपेक्षाओं को संतुष्ट करता है अथवा संतुष्ट करने का आशय रखता है;

(ii) धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन लेनदार समिति द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन होने पर प्रशासक इस बारे में समुचित विनियामक की 'अनापत्ति' की मांग करेगा कि उसे ऐसे व्यक्तियों पर कोई आपत्ति नहीं है जो धारा 31 के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात् वित्तीय सेवा प्रदाता का नियंत्रण अथवा प्रबंधन देखेंगे।

(iii) "समुचित विनियामक" धारा 29क में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वित्तीय सेवा प्रदाता के व्यवसाय पर लागू 'सही और समुचित' मापदंड के आधार पर 'अनापत्ति' जारी करेगा।

(iv) जहां समुचित विनियामक, खंड (ii) के अधीन दिए गए आवेदन पर ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 45 कार्य दिवसों के भीतर 'अनापत्ति' देने से मना नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि 'अनापत्ति' प्रदान कर दी गई है।

6. आवेदन फाइल करना और आवेदन शुल्क.-

(1) जबतक संहिता के अधीन कार्यवाही के संचालन की प्रक्रिया के नियम अधिसूचित किए जाएंगे, नियम 5 के खंड (क) के अधीन किया गया आवेदन कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन बनाए गए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 के भाग-III के नियम 20, 21, 22, 23, 24 और 26 के अनुसार न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष फाइल किया जाएगा।

(2) इन नियमों के अधीन आवेदक इस बारे में जानकारी होने के तत्काल पश्चात् वित्तीय सेवा प्रदाता के विरुद्ध प्रस्तुत की गई समापन याचिका के संबंध में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

(3) नियम 5 के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन आवेदन प्ररूप 1 में किया जाएगा और इसके साथ,-

(क) 25,000 रुपये का शुल्क ;

(ख) प्रस्तावित प्रशासक से प्ररूप 2 के अनुसार लिखित सहमति और घोषणा; और

(ग) प्ररूप 1 में यथा-निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज़ और अभिलेख।

(4) आवेदन और संलग्न दस्तावेज़ों को, इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल किया जाएगा, जब भी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है :

परंतु जब तक ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है , तब तक आवेदक संलग्नक दस्तावेज़ों को और जहां वे भारी-भरकम हो तो इन्हें न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को स्वीकार्य डाटा स्टोरेज़ डिवाइस में इलेक्ट्रोनिक रूप में स्कैन्ड, लिज़िबल पोर्टेबल डोक्यूमेंट फार्मेट जैसे कंपैक्ट डिस्क अथवा यूएसबी फ्लैश ड्राइव में प्रस्तुत करेगा।

(5) आवेदक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के पास फाइल किए गए आवेदन की प्रति वित्तीय सेवा प्रदाता के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगा।

(6) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नियम 5 के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन फाइल किए गए आवेदन को इसके स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध पर वापस करने की अनुमति देगा।

7. समापन प्रक्रिया.- कारपोरेट ऋणी की समापन प्रक्रिया से संबंधित संहिता के उपबंध वित्तीय सेवा प्रदाता की समापन प्रक्रिया को, यथावश्यक परिवर्तन सहित निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात्:–

(क) ऐसा लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रीकरण, जो वित्तीय सेवा प्रदाता को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत होने के लिए अधिकृत करता है, समापन प्रक्रिया के दौरान तब तक निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाएगा, जबतक कि, समापक को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

(ख) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समुचित विनियामक को निम्नलिखित के संबंध में आदेश पारित करने से पूर्व, सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा:

(i) धारा 33 के अधीन वित्तीय सेवा प्रदाता का समापन, और

(ii) धारा 54 के अधीन वित्तीय सेवा प्रदाता का विघटन।

8. स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया.- कारपोरेट ऋणी की स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया से संबंधित संहिता के उपबंध किसी वित्तीय सेवा प्रदाता की स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया को यथावश्यक परिवर्तन सहित निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे:-

(क) वित्तीय सेवा प्रदाता द्वारा संहिता की धारा 59 के अधीन स्वैच्छिक समापन कार्यवाही शुरू करने हेतु समुचित विनियामक की पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी;

(ख) धारा 59 की उपधारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट शपथपत्र में यह घोषणा शामिल की जाएगी कि खंड (क) के अधीन अनुमति प्राप्त कर ली गई है;

(ग) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा धारा 59 के अधीन वित्तीय सेवा प्रदाता के विघटन का आदेश पारित करने से पूर्व समुचित विनियामक को सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

9. दिवाला वृत्तिक.- (1) इन नियमों के प्रयोजनार्थ, केवल समुचित विनियामक द्वारा प्रस्तावित और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार नियुक्त प्रशासक ही, यथास्थिति, दिवाला वृत्तिक, अंतरिम समाधान वृत्तिक, समाधान वृत्तिक या समापक, के रूप में कार्य करेगा।

(2) किसी वित्तीय सेवा प्रदाता के ऐसे दिवाला समाधान और समापन कार्यवाही पर कार्य करते समय प्रशासक के कर्त्तव्य, कार्य, बाध्यताएं, दायित्व, अधिकार और शक्तियां, यथास्थिति, किसी दिवाला वृत्तिक, अंतरिम समाधान वृत्तिक, समाधान वृत्तिक या समापक, के समान होगी।

(3) किसी समुचित विनियामक दवारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा प्रशासक की नियुक्ति या बदलाव किया जाएगा।

10. तृतीय पक्षों की आस्तियां, आदि.- (1) किसी प्रकार के संशय को हटाने के उद्देश्य से, यह स्पष्ट किया जाता है कि नियम 5 के खंड (ख) और धारा 14 के उपबंध वित्तीय सेवा प्रदाता की अभिरक्षा या कब्जे में ली गई किसी प्रकार की तीसरे पक्ष से संबंधित आस्तियों या संपत्तियों, जिसमें तीसरे पक्षों के हित के लिए रखी गई किसी प्रकार की निधि, प्रतिभूतियां और अन्य आस्तियां शामिल हैं, पर लागू नहीं होंगे।

(2) प्रशासक वित्तीय सेवा प्रदाता की अभिरक्षा या कब्जे में ली गई तीसरे पक्ष की आस्तियों या संपत्तियों, जिसमें तीसरे पक्षों के हित के लिए रखी गई किसी प्रकार की निधि, प्रतिभूतियां और अन्य आस्तियां शामिल हैं, का नियंत्रण या कब्जा केवल उन्हें धारा 227 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित रीति से निपटने के उद्देश्य से कर सकता है।

प्ररूप-1

[नियम 5 के खंड (क) का उपखंड (1) देखें]

समुचित विनियामक द्वारा संहिता के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने हेतु आवेदन

(दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला समाधान और समापन कार्यवाहियां और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019 का नियम 5 के अधीन)

[दिनांक]

सेवा में,

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

[पता]

प्रेषक

[समुचित विनियामक का नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता]

[वित्तीय सेवा प्रदाता का नाम] के मामले में

विषय: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (वित्तीय सेवा प्रदाता का नाम) शुरू करने हेतु आवेदन

महोदया/महोदय,

[समुचित विनियामक का नाम], कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया [वित्तीय सेवा प्रदाता का नाम] शुरू करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूं। इस आवेदन के प्रयोजनार्थ ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

भाग-I

आवेदक का विवरण

1.	समुचित विनियामक का नाम	
2.	समुचित विनियामक का पता	
3.	उनकी ओर से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता [प्राधिकार पत्र संलग्न करें]	
4.	उनकी ओर से प्रकिया की तामील स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता [प्राधिकार पत्र संलग्न करें]	

भाग-II

वित्तीय सेवा प्रदाता का विवरण

1.	वित्तीय सेवा प्रदाता का नाम	
2.	वित्तीय सेवा प्रदाता क पहचान संख्या	
3.	वित्तीय सेवा प्रदाता के निगमन की तारीख	
4.	संगम ज्ञापन के अनुसार वित्तीय सेवा प्रदाता की नाममात्र शेयरपूंजी और समादत्त शेयरपूंजी और/या गारंटी खंड के ब्यौरे (जैसा लागू हो)	
5.	वित्तीय सेवा प्रदाता के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	

भाग – III

प्रस्तावित प्रशासक का विवरण

1.	प्रशासक का नाम, पता और ई-मेल पता	

भाग-IV

चूक के विवरण

भवदीय,

वित्तीय लेनदार की ओर से कार्य करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में
वित्तीय लेनदार के समक्ष उसकी स्थिति या वित्तीय लेनदार से उसका संबंध
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता

निर्देश:

इस आवेदन के साथ कृपया निम्नलिखित संलग्न करें:

अनुलग्नक I इस आवेदन में संदर्भित सभी दस्तावेजों की प्रतियां।

अनुलग्नक II प्रस्तावित प्रशासक द्वारा प्ररूप 2 में यथाविहित अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने के लिए लिखित संसूचना

अनुलग्नक III निर्धारित आवेदन शुल्क संदत्त करने का साक्ष्य

प्रपत्र 2

[नियम 6 के उपनियम (3) का खंड (ख) देखें]

प्रशासक द्वारा लिखित संसूचना

दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला समाधान और समापन कार्यवाहियां और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 6 के अधीन

[दिनांक]

सेवा में,

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

[पता]

प्रेषक

[प्रशासक का नाम और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता]

[वित्तीय सेवा प्रदाता का नाम] के मामले में

विषय: (वित्तीय सेवा प्रदाता का नाम) के संबंध में कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने हेतु आवेदन संबंधी लिखित संसूचना

महोदया/महोदय,

दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला समाधान और समापन कार्यवाहियां और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 6 के अनुसार, मैं (प्रशासक का नाम):

(i) वर्तमान आवेदन पारित होने की अनुमति का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् प्रशासक के रूप में नियुक्ति स्वीकार करता हूं;

(ii) यह प्रकटीकरण करता हूं कि वर्तमान में मैं (कार्यवाहियों की संख्या अंत: स्थापित करें) कार्यवाहियों में अंतरिम समाधान वृत्तिक/समाधान वृत्तिक/समापक के रूप में कार्यरत हूं;

(iii) यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे विरूद्ध बोर्ड या (समुचित विनियामक का नाम अंत:स्थापित करें) के समक्ष किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं;

(iv) इस बात की पुष्टि करता हूं कि मेरा इस मामले के संबंध में किसी प्रकार का हित विरोध नहीं है/मेरा इस मामले से निम्नलिखित हित है:

(प्रशासक के हस्ताक्षर)

(नाम बड़े अक्षरों में)

[फा.सं. 30/4/2017-दिवाला अनुभाग]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2019

G.S.R. 852(E). —In exercise of the powers conferred under section 227 read with clause (zk) of sub-section (2) of section 239 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency and Liquidation Proceedings of Financial Service Providers and Application to Adjudicating Authority) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — These rules shall apply to such financial service providers or categories of financial service providers, as may be notified by the Central Government under section 227, from time to time, for the purpose of their insolvency and liquidation proceedings under these rules.

3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Administrator" means an individual appointed by the Adjudicating Authority under sub-clause (iii) of clause (a) of rule 5, to exercise the powers and functions of the insolvency professional, interim resolution professional, resolution professional or the liquidator for the purpose of insolvency and liquidation proceedings of a financial service provider;

(b) "Advisory Committee" means the Committee constituted by the appropriate regulator in accordance with clause (c) of rule 5 of these rules;

(c) "appropriate regulator" means the financial sector regulator, as may be notified by the Central Government under section 227, for a category of financial service providers;

(d) "Code" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

(e) "Form" means a Form appended to these rules; and

(f) "identification number" means the corporate identity number or the limited liability partnership identification number, as the case may be, of a financial service provider.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them in the Code.

4. General modifications. - For the purposes of these rules, in all the provisions relating to insolvency and liquidation proceedings under the Code,-

(i) for the expression "corporate debtor" wherever they occur, shall mean "financial service provider"; and

(ii) for the expressions "insolvency professional", "interim resolution professional", "resolution professional" or "liquidator", wherever they occur, shall mean "administrator".

5. Corporate Insolvency Resolution Process of financial service providers.— The provisions of the Code relating to the Corporate Insolvency Resolution Process of the corporate debtor shall, *mutatis mutandis* apply, to the insolvency resolution process of a financial service provider subject to the following modifications, namely:—

(a) Initiation of Corporate Insolvency Resolution Process.-

(i) no corporate insolvency resolution process shall be initiated against a financial service provider which has committed a default under section 4, except upon an application made by the appropriate regulator in accordance with rule 6;

(ii) the application under sub-clause (i) shall be dealt with in the same manner as an application by a financial creditor under section 7, subject to clause (iii); and

(iii) on the admission of the application, the Adjudicating Authority shall appoint the individual proposed by the appropriate regulator in the application filed under sub-clause (i) of clause (a) of rule 5, as the Administrator.

(b) Moratorium.- Save as provided in section 14,-

(i) an interim moratorium shall commence on and from the date of filing of the application under clause (a) till its admission or rejection; and

(ii) the license or registration which authorises the financial service provider to engage in the business of providing financial services shall not be suspended or cancelled during the interim-moratorium and the corporate insolvency resolution process.

Explanation.- For the purposes of this clause, "interim moratorium" shall have the effect of the provisions of sub-sections (1), (2) and (3) of section 14.

(c) **Advisory Committee.-**

(i) the appropriate regulator may, where deemed necessary, constitute an Advisory Committee, within 45 days of the insolvency commencement date, to advise the Administrator in the operations of the financial service provider during the corporate insolvency resolution process;

(ii) the Advisory Committee shall consist of three or more Members, who shall be persons of ability, integrity and standing, and who have expertise or experience in finance, economics, accountancy, law, public policy or any other profession in the area of financial services or risk management, administration, supervision or resolution of a financial service provider;

(iii) the terms and conditions of the Members of the Advisory Committee and the manner of conducting meetings and observance of rules of procedure shall be such as may be determined by the appropriate regulator;

(iv) the compensation paid to the Members of the Advisory Committee shall be part of the insolvency resolution process costs;

(v) the Administrator shall chair the meetings of the Advisory Committee.

(d) Resolution plan.-

(i) the resolution plan shall include a statement explaining how the resolution applicant satisfies or intends to satisfy the requirements of engaging in the business of the financial service provider, as per laws for the time being in force;

(ii) upon approval of the resolution plan by the committee of creditors under sub-section (4) of section 30, the Administrator shall seek 'no objection' of the appropriate regulator to the effect that it has no objection to the persons, who would be in control or management of the financial service provider after approval of the resolution plan under section 31;

(iii) the appropriate regulator shall without prejudice to the provisions contained in section 29A, issue 'no objection' on the basis of the 'fit and proper' criteria applicable to the business of the financial service provider;

(iv) where an appropriate regulator does not refuse 'no objection' on an application made under clause (ii) within forty-five working days of receipt of such application, it shall be deemed that 'no objection' has been granted.

6. Filing of application and application fee.—

(1) Till such time the rules of procedure for conduct of proceedings under the Code are notified, the application made under clause (a) of rule 5 shall be filed before the Adjudicating Authority in accordance with rules 20, 21, 22, 23, 24 and 26 of Part III of the National Company Law Tribunal Rules, 2016 made under the provisions of the Companies Act, 2013.

(2) An applicant under these rules shall immediately after becoming aware, notify the Adjudicating Authority of any winding-up petition presented against the financial service provider.

(3) The application under sub-clause (i) of clause (a) of rule 5 shall be made in Form 1 and accompanied by-

(a) a fee of twenty-five thousand rupees;

(b) a written consent and declaration in accordance with Form 2 from the proposed Administrator; and

(c) other documents and records as specified in Form 1.

(4) The application and accompanying documents shall be filed in electronic form, as and when such facility is made available by the Adjudicating Authority:

Provided that till such facility is made available, the applicant may submit the accompanying documents, and wherever they are bulky, in electronic form, in scanned, legible portable document format in a data storage device such as a compact disc or a USB flash drive acceptable to the Adjudicating Authority.

(5) The applicant shall dispatch forthwith, a copy of the application filed with the Adjudicating Authority, by registered post or speed post to the registered office of the financial service provider.

(6) The Adjudicating Authority may permit withdrawal of an application filed under sub-clause (i) of clause (a) of rule 5 before its admission on a request made by the applicant.

7. Liquidation Process.— The provisions of the Code relating to the liquidation process of the corporate debtor shall, *mutatis mutandis* apply, to the liquidation process of a financial service provider subject to the following modifications, namely: —

(a) the license or registration that authorises the financial service provider to engage in the business of providing financial services shall not be suspended or cancelled during the liquidation process, unless an opportunity of being heard has been provided to the liquidator;

(b) the Adjudicating Authority shall provide the appropriate regulator an opportunity of being heard before passing an order for —

(i) liquidation of the financial service provider under section 33, and

(ii) dissolution of the financial service provider under section 54.

8. Voluntary Liquidation Process.— The provisions of the Code relating to voluntary liquidation process of the corporate debtor shall, *mutatis mutandis* apply, to the voluntary liquidation process of a financial service provider subject to the following modifications, namely :-

(a) the financial service provider shall obtain prior permission of the appropriate regulator for initiating voluntary liquidation proceedings under section 59 of the Code;

(b) the affidavit referred to in clause (a) of sub-section (3) of section 59 shall include a declaration that the permission under clause (a) has been obtained;

(c) the Adjudicating Authority shall provide the appropriate regulator an opportunity of being heard before passing an order for dissolution of the financial service provider under section 59.

9. Insolvency Professional.— (1) For the purpose of these rules, only an Administrator proposed by the appropriate regulator and appointed as such by the Adjudicating Authority shall act as an insolvency professional, interim resolution professional, resolution professional or liquidator, as the case may be.

(2) An Administrator shall have the same duties, functions, obligations, responsibilities, rights, and powers of an insolvency professional, interim resolution professional, resolution professional or liquidator, as the case may be, while acting as such in an insolvency resolution and liquidation proceeding of a financial service provider.

(3) The appointment or replacement of the Administrator may be made by the Adjudicating Authority on an application made by the appropriate regulator in this behalf.

10. Assets of third parties, etc.— (1) For removal of doubts, it is clarified that the provisions of clause (b) of rule 5 and section 14 shall not apply to any third-party assets or properties in custody or possession of the financial service provider, including any funds, securities and other assets required to be held in trust for the benefit of third parties.

(2) The Administrator shall take control and custody of third-party assets or properties in custody or possession of the financial service provider, including any funds, securities and other assets required to be held in trust for the benefit of third parties only for the purpose of dealing with them in the manner, as may be notified by the Central Government under section 227.

Form 1

(See sub-clause (i) of clause (a) of Rule 5)

APPLICATION BY APPROPRIATE REGULATOR TO INITIATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS UNDER THE CODE.

(*Under Rule 5 of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution and Liquidation Proceedings of Financial Service Providers and Application to Adjudicating Authority) Rules, 2019)*

[*Date*]

To

The National Company Law Tribunal

[*Address*]

From

[*Names and addresses of the registered office of the appropriate regulator*]

In the matter of [*name of the financial service provider*]

Subject: Application to initiate corporate insolvency resolution process [*name of the financial service provider*] under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Madam/Sir,

[*Name of appropriate regulator*], hereby submit this application to initiate a corporate insolvency resolution process [*name of financial service provider*]. The details for the purpose of this application are set out below:

Part I

PARTICULARS OF APPLICANT

1	Name of appropriate regulator	
2	Address of the appropriate regulator	
3	Name and address of the person authorised to submit application on its behalf (enclose authorisation)	
4	Name and address of person authorised to accept the service of process on its behalf (enclose authorisation)	

Part II

PARTICULARS OF THE FINANCIAL SERVICE PROVIDER

1	Name of the financial service provider	
2	Identification number of financial service provider	
3	Date of incorporation of financial service provider	
4	Nominal share capital and the paid-up share capital of the financial service provider and/or details of guarantee clause as per memorandum of association (as applicable)	
5	Address of the registered office of the financial service provider	

Part III

PARTICULARS OF THE PROPOSED ADMINISTRATOR

1.	Name, address and email address of the Administrator	

Part IV

PARTICULARS OF DEFAULT

Yours sincerely,

Signature of person authorised to act on behalf of the financial creditor
Name in block letters
Position with or in relation to the financial creditor
Address of person signing

Instructions

Please attach the following to this application:

Annex I Copies of all documents referred to in this application.

Annex II Written communication by the proposed Administrator to act as the interim resolution professional as set out in Form 2.

Annex III Proof that the specified application fee has been paid.

FORM 2

(See clause (b) of sub-rule (3) of Rule 6)

WRITTEN COMMUNICATION BY THE ADMINISTRATOR

(*Under Rule 6 of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution and Liquidation Proceedings of Financial Service Providers and Application to Adjudicating Authority) Rules, 2019)*

[*Date*]

To

The National Company Law Tribunal [*Address*]

From

[*Name and address of the registered office of the Administrator*]

In the matter of [*name of the financial service provider*]

Subject: Written communication in connection with an application to initiate corporate insolvency resolution process in respect of [*name of the financial service provider*]

Madam/Sir,

In accordance with Rule 6 of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution and Liquidation Proceedings of Financial Service Providers and Application to Adjudicating Authority) Rules, 2019, I [*name of the Administrator*], hereby:

(i) agree to appointment as Administrator if an order admitting the present application is passed;

(ii) disclose that I am currently serving as an interim resolution professional / resolution professional / liquidator in [*insert number of proceedings*] proceedings;

(iii) certify that there are no disciplinary proceedings pending against me with the Board or [insert the name of appropriate regulator];

(iv) affirm that I do not have any conflict of interest in this matter / I have the following interests in the matter:

(Signature of the Administrator)

(Name in block letters)

[F. No. 30/4/2017 –Insolvency Section]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.15 16:12:09 +05'30'